

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Second Appeal No. 230/2026

Badari Lal Son Of Shri Ramnath, Resident Of Kushalpura, Tehsil Bauli, District Sawai Madhopur.

----Appellant/Plaintiff

Versus

1. Mohan Lal Son Of Dev Karan, Resident Of Kushalpura, Tehsil Bauli, District Sawai Madhopur.
2. Land Holder Tehsildar, Tehsil Bauli, District Sawai Madhopur.
3. Sub Registrar, Sub Registrar Office, Bauli, District Sawai Madhopur.
4. Bank Of Baroda, Branch At Bauli, District Sawai Madhopur.

----Respondents/Defendants

For Appellant(s) : Mr. Ravi Bhojak

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

08/05/2026

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2218/2026 पर सुना गया।

अपीलार्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बौली, जिला सवाई माधोपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में मात्र विवाद्यक संख्या 8 को अपीलार्थी/वादी के विरुद्ध निर्णित करते हुए वादी द्वारा संस्थित वाद को खारिज कर दिया गया था शेष बचे हुए 7 विवाद्यको पर न तो विचारण न्यायालय के द्वारा कोई विचार किया गया और न ही उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित किया गया। इसके अतिरिक्त विद्वान् विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय विवाद्यक संख्या 8 के सम्बन्ध में निर्णय पारित करते हुए इस बात का सम्यक मूल्यांकन करने में विफल रहे है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अपीलार्थी/वादी की

आयु/जन्मतिथि को सिद्ध करता हो। अपीलार्थी/वादी एक अशिक्षित कृषक है जिसे अपनी सही जन्मतिथि का समुचित ज्ञान नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए की अपीलार्थी/वादी इकरारनामा निष्पादित करते समय अवयस्क था तब भी यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संविदा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई अवयस्क निष्पादक/हस्तांतरणकर्ता (executor/transferor) नहीं हो सकता, किन्तु वह लाभार्थी अथवा हस्तांतरणग्राही (beneficiary/transferee) अवश्य हो सकता है। अपीलार्थी/वादी के द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2019 पुलिस थाना बौली सवाईमाधोपुर में दर्ज करवाई गयी थी जिसके अनुसंधान के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में वादग्रस्त संपत्ति को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय "**Neelam Gupta & Ors. Vs Rajendra Kumar Gupta & Ors.**" AIR 2024 SC 5374 आदेश दिनांकित 14.10.2024 में अभिनिर्धारित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 मोहन लाल को अपीलार्थी/वादी बद्री लाल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष संस्थित सिविल द्वितीय अपील संख्या 230/2026 के अंतिम निस्तारण होने तक अपीलार्थी/वादी के स्थापित कब्जे एवं स्थिति में हस्तक्षेप करने तथा अपीलार्थी/वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने से रोका जाए तथा यथास्थिति बनाए रखने हेतु निर्देशित किया जाए।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान् विचारण न्यायालय के द्वारा कुल 9 विवाद्यक विरचित किये गए थे जिसमे से मात्र एक विवाद्यक संख्या 8 के अतिरिक्त अन्य किसी भी विवाद्यक को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित नहीं किया गया है। जहाँ तक वादग्रस्त संपत्ति का अपीलार्थी/वादी के कब्जे में होने का प्रश्न है, विवादित संपत्ति पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2019 में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी/वादी पक्ष विवादित सम्पत्ति को ट्रेक्टर से जोतने गए तो दूसरे पक्ष के खेत ना जोतने के कहने के कारण से दोनों पक्षों के मध्य झगड़ा हो गया। पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा

341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 447 (धारा 329 भारतीय न्याय संहिता) में उल्लेखित आपराधिक अतिचार का अपराध प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण के विरुद्ध बनना पाए जाने के कारण तथा वादग्रस्त संपत्ति का अपीलार्थी/वादी के कब्जे में होने के कारण इस स्तर पर मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

विद्वान् विचारण न्यायालय के द्वारा सभी विवादको का गुणावगुण पर विचारण नहीं किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश दिया जाता है की प्रत्यर्थी संख्या 1 मोहन लाल आगामी तारीख पेशी तक अपीलार्थी/वादी बट्टी लाल को विवादित भूमि से बेदखल नहीं करेगा तथा विवादित संपत्ति की यथास्थिति को बनाये रखेगा ।

उक्त आदेश प्रत्यर्थी संख्या 1 की तामील के पश्चात प्रभावी होगा। आगामी तारीख पेशी पर प्रत्यर्थीगण के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से निषेधाज्ञा जारी किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार पीएफ नोटिस प्रस्तुत होने पर नोटिस जारी किये जावे।

प्रकरण 2 सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J